उत्तर प्रदेश शासन
संस्कृति अनुभाग
संख्या– 564 /चार–2009–36(बजट)/2007
लखनऊ: दिनांक 16 फरवरी,2009

अधिसूचना/प्रकीर्ण

भारत के संविधान के अनुच्छेद 162 के अधीन प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करके श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष उत्तर प्रदेश के वृद्ध एवं विपन्न कलाकारों को आर्थिक सहायता विषयक निम्न मार्गदर्शक सिद्धान्त निर्धारित करते हैं। यह मार्गदर्शक सिद्धान्त जारी होने की तिथि से प्रभावी होगें।

1. <u>संक्षिप्त नाम</u>– यह मार्गदर्शक सिद्धान्त "उत्तर प्रदेश के वृद्ध एवं विपन्न कलाकारों को आर्थिक सहायता 2009" कहे जायेंगें।

2. <u>उद्देश्य</u>– इस मार्गदर्शी सिद्धान्त का उद्देश्य कला एवं कलाकारों के सर्वेक्षण अभिलेखीकरण योजना के अन्तर्गत प्रदेश के 60 वर्ष की आयु से अधिक के कलाकारों, जो स्वतंत्र रूप से कार्यक्रमों को करने एवं आय अर्जित करने के लिये सक्षम नहीं हैं, को गम्भीर बीमारी के चिकित्सा हेतु अस्पताल में भर्ती होने की दशा में उनके द्वारा किये गये व्यय के सापेक्ष आर्थिक सहायता देना है। इसके अतिरिक्त किसी कलाकार की मृत्यु होने की दशा में उसके परिवार को अन्तिम संस्कार एवं तात्कालिक रूप से आर्थिक सहायता देना है।

3. <u>आर्थिक सहायता की धनराशि</u>
(क) गम्भीर बीमारी की चिकित्सा हेतु अस्पताल में भर्ती होने की दशा में कलाकार द्वारा किये गये व्यय के सापेक्ष वास्तविक बिल/बाउचर मूल रूप में उपलब्ध कराने की स्थिति में अधिकतम रू0 1.00लाख की सहायता दी जायेगी। यह सहायता कलाकारों को अपने जीवन काल में केवल एक बार वास्तविक बिल/बाउचर सक्षम प्राधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित कर प्रस्तुत करने के पश्चात् अनुमन्य होगी।
(ख) कलाकार की मृत्यु होने की दशा में उसके परिवार को उनके अनुरोध पर कलाकार के अंतिम संस्कार एवं तात्कालिक आवश्यकताओं हेतु रू0 5,000/– की धनराशि सम्बन्धित जिलाधिकारी के माध्यम से दी जायेगी।

4. <u>पात्रता</u>– इस मार्गदर्शी सिद्धान्त के अधीन आर्थिक सहायता निम्नलिखित कलाकारों को दी जा सकती है।
   1. जो कलाकार संस्कृति निदेशालय द्वारा संचालित "वृद्ध एवं विपन्न कलाकारों को मासिक पेंशन योजना" के अन्तर्गत सहायता पा रहे हैं।
   2. उत्तर प्रदेश के वे कलाकार जो संस्कृति विभाग,भारत सरकार द्वारा सचालित पेंशन योजनान्तर्गत पेंशन पा रहे है।

5. <u>वित्तीय सहायता के लिये आवेदन</u>–
इस योजना के अन्तर्गत चिकित्सा हेतु सहायता के लिये संलग्न आवेदन पत्र के अनुसार आवेदन पत्र आमंत्रित करने हेतु प्रदेश के प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में सूचना दी जायेगी। प्राप्त आवेदन–पत्रों पर निम्नलिखित विशेषज्ञ समिति द्वारा किये गये परीक्षण एवं संस्तुति के आधार पर निदेशक,संस्कृति निदेशालय द्वारा आर्थिक सहायता स्वीकृत की जायेगी:–

1. निदेशक,संस्कृति निदेशालय,उ0प्र0,लखनऊ	अध्यक्ष
2. कुलपति,भातखण्डे संगीत संस्थान विश्वविद्यालय अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
3. सचिव, उ0प्र0संगीत नाटक अकादमी,	सदस्य
4. उपनिदेशक,संस्कृति निदेशालय,उ0प्र0	सदस्य/सचिव

6. **आर्थिक सहायता की समाप्ति**

(1) आवेदक द्वारा कोई गलत सूचना देने पर दी गयी आर्थिक सहायता की वसूली भू-राजस्व बकाये की तरह नियमानुसार की जायेगी।

(2) प्रत्येक मामले में निदेशक,संस्कृति निदेशालय का निर्णय अन्तिम होगा।

संलग्नक: यथोक्त।

अवनीश कुमार अवस्थी
सचिव।

संख्या- 564 (1)/चार-2009 तद्दिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. प्रधान महालेखाकार,लेखा व हकदारी प्रथम, उ0प्र0.इलाहाबाद
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,उ0प्र0शासन।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,उ0प्र0।
4. निदेशक,संस्कृति निदेशालय,उ0प्र0.लखनऊ
5. निदेशक,सूचना,उ0प्र0.लखनऊ।

आज्ञा से,
(प्रशान्त प्रताप सिंह)
अनु सचिव

Government of Uttar Pradesh
Culture Section
No.-564/IV-09-38(Budget)/2007
Lucknow: Dated 16 February, 2009

Notification/Miscellaneous

In exercise of the powers conferred by Article 162 of the Constitution of India, the Governor is pleased to make the following guiding principles **"Financial Assistance to aged artistes of Uttar Pradesh who are in indigent Circumstances, 2009"**. These guiding principles shall be effective from the date of its notification.

1. **Brief Title:-** These guiding principles shall be called **"Financial Assistance to aged artistes of Uttar Pradesh who are in indigent Circumstances, 2009**

2. **Objective:-** The objective of these guiding principles under the Survey and Documentation of Art and Artistes Scheme is to provide financial assistance to artistes of the State above 60 years of age, who are incapable of giving performances and earning income, for expenditure incurred in case of hospitalization for treatment of serious illnesses. In addition, in the event of death of the artiste to give his/her family members financial assistance for immediate needs and performing his/her last rites.

3. **Amount of Financial Assistance:-**

(a) In the event of hospitalization for treatment of a serious illness, the artiste would be given financial assistance up to a maximum of Rs.1.00 lac against furnishing original bills towards actual expenses incurred. This assistance will be given once in a lifetime of the artiste. The original bills of expenditure submitted should be duly countersigned by competent authority.

(b) In the event of death of an artiste, his/her family members would be given on their request a sum of Rs.5,000/- for immediate needs and for performing the last rites of the artiste through the respective district magistrate.

4. **Eligibility:-** Under these guiding principles, financial assistance will be given to the following artistes:-

i. Those artistes who are drawing pension under the pension scheme operated by the Directorate of Culture, U.P.

2. Those artistes who are drawing pension under the pension scheme operated by the Culture Department, Govt. of India.

5. **Application for Financial Assistance.-** Applications will be invited on prescribed application form appended with this Scheme through notices published in prestigious newspapers of the State.

The Director, Directorate of Culture, U.P. will sanction financialassistance on the basis of scrutiny and recommendations of the following Expert Committee:-

1. Director, Directorate of Culture, U.P. Lucknow — **Chairman**
2. Vice Chancellor, Bhatkhande Sangeet Sansthan Or his nominee — **Member**
3. Secretary, U.P. Sangeet Natak Akademi — **Member**
4. Deputy Director, Directorate of Culture, U.P — **Member-Secretary**

6. **Termination of Financial Assistance.-**

(1) If the applicant is found to have furnished any false information, financial assistance provided to him/her will be duly recovered in the form of land dues.

In each case the decision of Director, Directorate of Culture will be final.

Enclosed: As above.

Awanish Kumar Awasthi
Secretary

No.-564 (1)/IV-2009 dtd.

Copy to the following for information & ordinary action:-

1. Comptroller & Auditor General, U.P. Allahabad.
2. All Principal Secretaries/Secretaries, Govt. of U.P.
3. All Commissioners/D.M.s, U.P.
4. Director, Directorate of Culture, U.P., Lucknow.
5. Director, Information, U.P., Lucknow.

By Order,

(Dhirendra Pratap Singh)
Under Secretary

Directorate of Culture, U.P.

Financial Assistance Scheme to aged artistes of U.P. who are in indigent circumstances

Application Form

Affix Photograph

1. Name of the Applicant ....
2. Name of Father/Spouse..................................
3. Permanent Address..

....

4. Date from which the artiste is resident of U.P....................................
5. Field of Art ....
6. Details of sanction of pension from U.P. State Govt. or Govt. of India:-

   (1) Number and date of the sanctioning letter.

   (2) Amount of sanctioned money.
7. Do you belong to SC/ST (If yes, please attach certificate)..............

I hereby solemnly pledge that the above information is completely true. If any information is found to be false, then the Government has the right to terminate my financial assistance and whatever amount has been given to me as financial assistance can be recovered in the form of land dues.

Date: **Signature of Applicant**

Note: The application form will be considered only if the following certificates are attached:-

(1) Certified copy of sanctioning letter of pension.

(2) High School certificate or age certificate issued by Chief Medical Officer.

(3) Income certificate issued by Tehsildar.

उत्तर प्रदेश शासन
संस्कृति अनुभाग
संख्या– 585 /चार–09–38(बजट)/2007
लखनऊ: दिनांक: 16 फरवरी 2008

अधिसूचना/प्रकीर्ण

भारत के संविधान के अनुच्छेद 162 के अधीन प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करके श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष "कला के क्षेत्र में योग्य प्रतिभाशाली छात्रों को आर्थिक सहायता" विषयक निम्न मार्गदर्शक सिद्धान्त निर्धारित करते हैं। यह मार्गदर्शक सिद्धान्त जारी होने की तिथि से प्रभावी होंगे।

1. संक्षिप्त नाम– यह मार्गदर्शक सिद्धान्त कला के क्षेत्र में "योग्य प्रतिभाशाली छात्रों को आर्थिक सहायता, 2008" कहे जायेंगे।

2. उद्देश्य– इस मार्गदर्शी सिद्धान्त का उद्देश्य कला एवं कलाकारों के संरक्षण अभिलेखीकरण योजना के अन्तर्गत योग्य छात्रों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है, जिससे प्रदेश के 30 वर्ष की आयु के योग्य एवं प्रतिभाशाली छात्र–छात्राओं को प्रदेश के बाहर किसी प्रतिष्ठित संस्थान में कला एवं संस्कृति के व्यावसायिक अध्ययन के लिये प्रेरणा प्राप्त हो और वे उत्कृष्ट व्यावसायिक कलाकारों के रूप में विकसित हो सकें।

3. विषय एवं क्षेत्र– आर्थिक सहायता निम्नलिखित विधाओं में व्यावसायिक उपाधि/प्रशिक्षण हेतु प्रदान की जायेगी–

(क) भारतीय शास्त्रीय संगीत
(ख) भारतीय शास्त्रीय नृत्य
(ग) नाट्य
(घ) दृश्य कला
(ङ) लोक एवं पारम्परिक कलायें
(च) उपशास्त्रीय संगीत

दुर्लभ कला स्वरूपों में अध्ययन हेतु प्राथमिकता दी जायेगी।

2. पात्रता– आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिये छात्र/छात्राओं में निम्नलिखित अर्हताओं का होना आवश्यक है:–

1. उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिये।
2. अधिकतम 30वर्ष की आयु होना चाहिये।
3. चयनित विधा में स्नातक अथवा मान्यता प्राप्त संस्थान से समकक्ष उपाधि प्राप्त होना चाहिये।
4. व्यावसायिक उपाधि/प्रशिक्षण हेतु प्रदेश के बाहर स्थित प्रतिष्ठित मान्यता प्राप्त संस्थान में प्रवेश पा लेने का प्रमाण पत्र होना चाहिये।
5. अभिभावकों की समस्त स्रोतों से आय रू01.00लाख वार्षिक से अधिक नहीं होनी चाहिये।

5. अवधि प्रकृति एवं राशि–

1. आर्थिक सहायता चयनित व्यावसायिक प्रशिक्षण में प्रत्येक शिक्षण वर्ष में उत्तीर्ण होने के प्रमाणिक साक्ष्य उपलब्ध कराने की दशा में अगले वर्ष देय होगी। किसी वर्ष में अभ्यर्थी के अनुत्तीर्ण होने पर आर्थिक सहायता समाप्त कर दी जायेगी।

शेष पृष्ठ—2 पर

2. प्रत्येक वर्ष 10 छात्र–छात्राओं को आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने पर विचार किया जायेगा। बजट में धन की उपलब्धता के आधार पर भी संख्या घटायी अथवा बढ़ायी जा सकती है।

3. आर्थिक सहायता प्रदेश के बाहर स्थित देश के प्रशिक्षण संस्थान की वार्षिक ट्यूशन फीस की सीमा अथवा रू0 25,000/– जो भी कम हो, तक प्रदान की जायेगी।

6. चयन– प्रत्येक वर्ष माह जुलाई में प्रदेश के प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में विज्ञापन देने के उपरान्त आवेदन पत्र संलग्न प्रारूप पर आमंत्रित किये जायेंगे। निम्नलिखित निदेशक समिति द्वारा किये गये परीक्षण एवं संस्तुति के आधार पर निदेशक,संस्कृति निदेशालय द्वारा स्वीकृति प्रदान की जायेगी–

1. अपर निदेशक,संस्कृति निदेशालय,उ0प्र0,लखनऊ	अध्यक्ष
2. कुलपति,भातखण्डे संगीत संस्थान विश्वविद्यालय अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी	सदस्य
3. सचिव, उ0प्र0संगीत नाटक अकादमी,	सदस्य
4. निदेशक,भारतेन्दु नाट्य अकादमी	सदस्य
5. शासन द्वारा नामित 02 प्रतिष्ठित कलाकार	सदस्य
6. संयुक्त निदेशक,संस्कृति निदेशालय,उ0प्र0	सदस्य–सचिव

7. भुगतान :– चयनित छात्र/छात्राओं को आर्थिक सहायता का भुगतान प्रशिक्षण संस्थान की ट्यूशन फीस के मूल बिल एवं छात्र/छात्राओं द्वारा किये गये भुगतान की मूल रसीद निदेशालय में उपलब्ध कराने पर प्रतिपूर्ति के रूप में ड्राफ्ट/चेक के माध्यम से किया जायेगा।

8. आर्थिक सहायता की समाप्ति– आर्थिक सहायता निम्न कारणों से समाप्त की जा सकती है–

1. छात्र अथवा छात्रा के किसी शैक्षणिक सत्र में अनुत्तीर्ण होने पर।
2. छात्र/छात्रा का किन्ही कारणों से शैक्षणिक संस्थान छोड़ने अथवा निष्कासित होने की दशा में।
3. आवेदन–पत्र में कोई गलत सूचना दिये जाने पर आर्थिक सहायता निरस्त करते हुये पूर्व में दी गयी आर्थिक सहायता की वसूली भू–राजस्व बकाये की भाँति की जा सकती है।
4. प्रत्येक मामले में निदेशक,संस्कृति निदेशालय का निर्णय अंतिम होगा।

संलग्नक: यथोक्त।

अतनीश कुमार अवस्थी
सचिव।

संख्या– 565 (1)/चार–2008 तद्दिनांक,

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रधान महालेखाकार, लेखा व हकदारी, प्रथम, उ0प्र0,इलाहाबाद
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,उ0प्र0शासन।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,उ0प्र0।
4. निदेशक संस्कृति निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ
5. निदेशक,सूचना,उ0प्र0,लखनऊ।

आज्ञा से,

(वीरेन्द्र प्रताप सिंह)
अनु सचिव

Government of Uttar Pradesh
Culture Section
No.- 565 /IV-2009-38(Budget)/2007
Lucknow: Dated 16 February, 2009

Notification/Miscellaneous

In exercise of the powers conferred by Article 162 of the Constitution of India, the Governor is pleased to make the following guiding principles "**Financial Assistance to Deserving Talented Students in the field of Art, 2009".** These guiding principles shall be effective from the date of its notification.

1. **Brief Title:-** These guiding principles shall be called **"Financial Assistance to Deserving Talented Students in the field of Art, 2009".**

2. **Objective:-** The objective of these guiding principles under the Survey and Documentation of Art and Artistes Scheme is to provide financial assistance to deserving students of the State who are up to 30 years of age and can be inspired to undertake professional study of art and culture in any prestigious institution outside the State and develop into outstanding professional artistes.

3. **Subject & Area:-**

Financial assistance will be provided for professional degree/training in the following fields:-

(a) Indian Classical Music.
(b) Indian Classical Dance
(c) Theatre
(d) Visual Arts
(e) Folk & Traditional Arts
(f) Semi-Classical Music

Priority will be given to the study of rare art forms.

4. **Eligibility:-** For receiving financial assistance, the student should fulfil the following essential eligibility criteria :-

(a) Should be a permanent resident of Uttar Pradesh.
(b) Age should not be more than 30 years.
(c) Graduate or equivalent degree holder from any recognized institution in the chosen field of art.

(d) Certificate or proof of securing admission for professionaldegree/training in any recognized prestigious institution outside the State.

(e) The total income of parents of the students should not exceed Rs. 1.00 lac per annum.

5. **Duration, Nature and Amount:-**

1. Financial assistance in the chosen professional training will be due in the succeeding year after providing certified proof of passing the previous academic year. In the event of the candidate failing to pass, financial assistance shall be iscontinued.

2. Each year financial assistance will be considered for 10 students. The number of students can be increased or decreased on the basis of availability of funds in the budget

3 Financial assistance will be given to the extent of annual tuition fees of the chosen training Institute located outside the State or Rs. 25,000/- whichever is less.

6. **Selection:-** Every year after advertising in prestigious newspapers of the State in the month of July, applications shall be invited in the proforma appended. The Director, Directorate of Culture, U.P. will sanction financial assistance on the basis of scrutiny and recommendations of the following Expert Committee:-

1. Additional Director, Directorate of Culture, U.P. Lucknow **Chairman**
2. Vice Chancellor, Bhatkhande Sangeet Sansthan Or his nominee **Member**
3. Secretary, U.P. Sangeet Natak Akademi **Member**
4. Director, Bhartendu Natya Akademi **Member**
5. Two prestigious Artist nominated by Govt. **Members**
6. Joint Director]Directorate of Culture, U.P. **Member Secretary**

7. **Payment:-** The selected students shall be given financial assistance as reimbursement of the tuition fees of the Institute through draft/cheque after submitting the original bills of tuition fees and the original receipt of the payment made by the them against that bill.

8. **Termination of Financial Assistance-** The financial assistance can be terminated on the following grounds:-

1. Failing in any academic session.

2. The student leaving the institute or being expelled from the Institute for whatever reasons.

3. For furnishing false information in the application form, the financial assistance so far disbursed to the students will be recovered in the form of land revenues.

In each case, the decision of the Director, Directorate of Culture, U.P. shall be final.

Enclosed: As above.

Awanish Kumar Awasthi
Secretary

No.-565 (1)/IV-2009dtd.

Copy to the following for information and necessary action:-

1. Comptroller & Auditor General, U.P. Allahabad.
2. All Principal Secretaries/Secretaries, Govt. of U.P.
3. All Commissioners/D.M.s, U.P.
4. Director, Directorate of Culture, U.P., Lucknow
5. Director, Information, U.P., Lucknow

By Order

(Dhirendra Pratap Singh)
Under Secretary

Directorate of Culture U.P.

Financial Assistance to Deserving Talented Students in the Field of art

Application Form

Affix Photograph

1. Art/Discipline in which training is desired ....

2. Name of the Applicant ....

3. Date of Birth (Please give age certificate)..............................

Date	Month	Year

4. Name of Father/Husband ....

5. Present Address for correspondence..............................

6. Permanent Address..............................

7. Do you belong to Scheduled Caste/Scheduled Tribe.............................. (If yes, then attach certificate)

8. Educational qualifications..............................

Name of School & Location	Date of Admission and Leaving the School	Examinations Passed

9. Annual income of the parent/guardian from all sources. (Please attach income certificate issued by District Magistrate/ Tehsildar)

10. Name of the recognized training institute located outside the State in which admission is taken..............................

(a) Name of Degree/Training for which admission is taken..............................

(b) Certificate/Document for getting admission..............................

11. Details of Programmes performed..............................

12. Details of Awards received, if any ....

13. Details of certificates attached with the Application Form............

(1)..

(2)..

(3)..

(4)..

I hereby solemnly pledge that the above information is completely true. If any description is found to be false, then the Director, Directorate of Culture, U.P. has the right to terminate my financial assistance and to recover the amount disbursed to me in the form of land dues.

Date: **Signature of the student**

संख्या–718 / चार–09–43(बजट) / 07

प्रेषक,

अवनीश कुमार अवस्थी
सचिव
उ.प्र.शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी
उत्तर प्रदेश।

संस्कृति अनुभाग लखनऊ: दिनांक 27 फरवरी,2009

विषय:–प्रदेश के तहसील क्षेत्र में खुले मंच(प्रेक्षागृह) के निर्माण की योजना के संबंध में दिशा–निर्देश ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के तहसील क्षेत्रों में खुले मंच (प्रेक्षागृह) के निर्माण की योजना सांस्कृतिक गतिविधियों को सुचारू रूप से संचालित करने एवं उपलब्ध मनोरंजन के साधनों के सदुपयोग एवं जनमानस को उसका समुचित लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से हेतु संस्कृति विभाग द्वारा 11वीं पंचवर्षीय योजना अवधि में संचालित की जानी है। इस योजना के क्रियान्वयन हेतु सम्यक विचारोपरान्त निम्नलिखित मार्गदर्शी नीति प्रतिपादित किये जाने का निर्णय लिया गया है:–

1– इस योजना के अन्तर्गत तहसील क्षेत्र में मंच एवं ग्रीनरूम की स्थायी व्यवस्था वाले ,खुले प्रेक्षागृह का निर्माण कराया जायेगा, जिसके लिये न्यूनतम 50 वर्ग मी0 X 30 वर्ग मी0 समतल, विकसित भूमि, जिसमें आवागमन के साधन उपलब्ध हों, की आवश्यकता होगी। खुले / मुक्ताकाशी मंच के निर्माण हेतु स्थानीय स्तर पर जिलाधिकारी द्वारा निःशुल्क भूमि उपलब्ध करायी जायेगी।

2–योजना का क्रियान्वयन लोक निर्माण विभाग कार्यदायी संस्था द्वारा तैयार किया गया मानक आगणन अनु मानित लागत रू0 19.71 लाख के अनुसार खुला मंच / मुक्ताकाशी मंच का निर्माण कराया जायेगा।

3– इस निर्माण कार्य में निम्नलिखित प्राविधान रखे जावेंगे:–

1–ऑफिस रूम :– 3मी0 X 3मी0 (एक)

2–ग्रीन रूम (दो) – 4.5 मी0 X 4.5 मी0(पुरूष व महिला)

3–स्टेज– 9.0मी0चौड़ा X15.25मी0 लम्बा X 0.90 मी0 ऊँचा (शेड के साथ)

4–शौचालय– दो (महिला एवं पुरूष ग्रीन रूम से सम्बद्ध)

5–इण्डिया मार्का –II हैण्डपम्प

6–आन्तरिक विद्युत वायरिंग

4- जिलाधिकारी कार्यदायी संस्था का चयन अपने स्तर से भी कर सकते हैं परन्तु लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाये गये मानक आगणन के अनुसार ही कुल लागत रू0 19.71 लाख के अन्तर्गत ही सम्पूर्ण कार्य कराया जायेगा।

5- खुले मंच(प्रेक्षागृह)के रख-रखाव के लिये एक समिति निम्नवत् गठित की जायेगी-

1-	संबंधित जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2-	संबंधित मुख्य विकास अधिकारी	उपाध्यक्ष
3-	संबंधित उप जिलाधिकारी	सचिव
4-	संस्कृति विभाग द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
5-	संबंधित जनपद के सूचना अधिकारी	सदस्य
6-	संबंधित नगरपालिका परिषद / नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी अथवा संबंधित ग्राम सभा के ग्राम प्रधान	सदस्य

6- इस हेतु धनराशि निदेशक, संस्कृति के माध्यम से सम्बन्धित जिलाधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा।

7- योजना के अन्तर्गत प्रथम आगत प्रथम प्रदत्त सिद्धान्त के आधार पर पहले प्राप्त प्रस्तावों पर भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित होने पर धनराशि पहले अवमुक्त की जायेगी।

भवदीय,

(अवनीश कुमार अवस्थी)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1- निदेशक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
2- प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ
3- महाप्रबन्धक, उ0प्र0राजकीय निर्माण निगम लि. गोमतीनगर, लखनऊ।
4- निदेशक, सी0एण्ड डी0एस0 जल निगम, लखनऊ।

आज्ञा से,

(धीरेन्द्र प्रताप सिंह)
अनु सचिव।

उ0प्र0 वृद्ध एवं विपन्न कलाकारों की मासिक पेंशन की नियमावली, 1985 में संशोधन

वृद्ध एवं विपन्न कलाकारों को, जिन्होंने अपना पूरा जीवन कला एवं संस्कृति की आराधना में लगा दिया, परन्तु वृद्धावस्था व खराब स्वास्थ्य के कारण वे अपनी जीविका उपार्जन में असमर्थ हो गये हैं, को मासिक पेंशन देने की योजना है। योजना का कार्यान्वयन निम्नलिखित नियमावली में दिये गये नियमानुसार किया जायेगा :-

क्र.सं.	नियमावली के मूल प्रस्तर/बिन्दु	नियमावली के मूल प्रस्तर/बिन्दु जिसमें संशोधन
1. नियमावली	यह नियमावली "उ0प्र0 वृद्ध एवं विपन्न कलाकारों को मासिक पेंशन नियमावली, 1985 कही जायेगी।	यह नियमावली "उ0प्र0 वृद्ध एवं विपन्न कलाकारों को मासिक पेंशन नियमावली, 1985 (संशोधित) कही जायेगी।
2. पात्रता	1-कला एवं संस्कृति के विकास में विशिष्ट एवं महत्वपूर्ण योगदान किया हो अथवा जिन्होंने उत्कृष्ट ख्याति अर्जित की हो और जिनके कार्य को उच्चकोटि की मान्यता मिली हो।	1-वर्तमान प्राविधान के अन्तर्गत वे ही कलाकार पात्र हों जिनका सम्बन्धित क्षेत्र/विधा में न्यूनतम 10 वर्ष कला प्रदर्शन जीवन यापन का मुख्य साधन रहा हो। पेंशन हेतु पात्रता/अर्हता पर वितरण हेतु भारत सरकार द्वारा प्राविधानित पेंशन आवेदन प्रपत्र प्रस्तर-8-12 की सूचनाओं को भी आधार बनाया जायेगा।
	2-प्रार्थी की आय समस्त स्रोतों से रू0 500/-प्रतिमाह से अधिक न हो।	2-वर्तमान में प्राविधानित रू0 500/-प्रतिमाह नहीं रह गया है। "भारत सरकार की योजना के प्राविधान के अनुरूप रू0 2000/- मासिक आय तक के अभ्यर्थी पेंशन हेतु अर्ह माने जायें"
	3-प्रार्थी की आयु 60 वर्ष से कम न हो।	3-प्रार्थी की आयु 60 वर्ष से कम न हो।
	4-प्रार्थी उत्तर प्रदेश की स्थाई निवासी हो।	4-प्रार्थी उत्तर प्रदेश की स्थाई निवासी हो।
3. मासिक पेंशन की धनराशि	मासिक पेंशन की धनराशि रू0 1000/- से अधिक नहीं होगी। यह शुद्ध नेट होगी और इस पर कोई महंगाई भत्ता व अन्य भत्ता देय नहीं होगा।	वृद्ध एवं विपन्न कलाकारों को भारत सरकार के प्राविधान के अनुरूप रू0 2000/- प्रतिमाह दिया जाय। अतः इस प्रस्तर-3 में रू0 1000/- के स्थान पर रू0 2000/- रख दिया जाय।
4-पेंशन की अवधि	1-मृत्यु की तिथि तक पेंशन देय होगी। मृत्यु के उपरान्त यदि उसकी पेंशन की धनराशि भुगतान करना अवशेष रह जाय तो उसका भुगतान उसके कानूनी	1-पेंशन प्राप्त कर्ता की मृत्यु के उपरान्त भी पेंशन, उसके पति अथवा पत्नी जैसी भी स्थिति हो, को मृत्यु तक दिया जाय।

	उत्तराधिकारियों अथवा उसके द्वारा लिखित वसीयत के अनुसार किया जायेगा।	
	2-पेंशन को हर वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में जीवित होने का प्रमाण पत्र देना होगा तभी पेंशन जारी रहेगी।	2-पेंशनर को हर वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में जीवित होने का प्रमाण-पत्र देना होगा तभी पेंशन जारी रहेगी।
5-आवेदन पत्र देने की रीति	1-इस नियमावली के अधीन पेंशन की स्वीकृति के लिएआवेदन-पत्र अनुलग्नक में दिये गये प्रपत्र में निदेशक, संस्कृति, उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ को दिया जायेगा।	1-इस नियमावली के अधीन पेंशन की स्वीकृति के लिए आवेदन-पत्र अनुलग्नक में दिये गये प्रपत्र में निदेशक, संस्कृति, उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ को दिया जायेगा।
	2- आवेदन पत्र के साथ (i) तहसीलदार से अन्यून श्रेणी के राजस्व विभाग के किसी अधिकारी से मासिक आय का प्रमाण पत्र और	2- आवेदन पत्र के साथ (i) तहसीलदार से अन्यून श्रेणी के राजस्व विभाग के किसी अधिकारी से मासिक आय का प्रमाण पत्र और
	(ii)आयु का प्रमाण-पत्र देना होगा।	(ii) आयु का प्रमाण-पत्र देना होगा।
6-पेंशन के भुगतान का तरीका	1-स्वीकृति मासिक पेंशन की धनराशि लखनऊ में चेक द्वारा तथा लखनऊ के बाहर के स्थानों पर बैंक ड्राफट से संस्कृति निदेशालय द्वारा नियमित रूप से सम्बन्धित व्यक्तियों को त्रैमासिक आधार पर भेजी जायेगी।	1- पेंशन का भुगतान छमाही के आधार पर चेक/बैंक ड्राफट द्वारा किया जाय तथा यदि संभव हो तो पेंशन का वितरण बैंक खाते के माध्यम से भुगतान करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय। सभी पेंशन प्राप्तकर्ता स्टेट बैंक आफ इण्डिया में अपना खाता खुलवायें तथा धनराशि उनके खाते में प्रेषित की जाय।
7-पेंशन स्वीकृत करने का तरीका तथा अधिकारी	1- पेंशन स्वीकृत करने का अधिकार शासन द्वारा इस प्रयोजन हेतु गठित समिति को होगा। 2- समिति के निम्नलिखित सदस्य होंगे :- (i)सचिव,संस्कृति -अध्यक्ष (ii) वित्त विभाग का प्रतिनिधि जो उपसचिव के पद से नीचे का न हो - सदस्य (iii)नियोजन विभाग का प्रतिनिधि, जो उपसचिव के पद से नीचे का न हो -सदस्य (iv)निदेशक, संस्कृति निदेशालय सदस्य/सचिव	1- पेंशन स्वीकृत करने का अधिकार शासन द्वारा इस प्रयोजन हेतु गठित समिति को होगा। 2- समिति के निम्नलिखित सदस्य होंगे :- (i)निदेशक,संस्कृति -अध्यक्ष (ii) वित्त विभाग का प्रतिनिधि जो उपसचिव के पद से नीचे का न हो - सदस्य (iii)नियोजन विभाग का प्रतिनिधि; जो उपसचिव के पद से नीचे का न हो -सदस्य (iv) निदेशक,संस्कृति निदेशालय सदस्य/सचिव

	(v) संगीत, नृत्य, नाटक, ललित कला के प्रत्येक क्षेत्र से एक-एक विशिष्टि व्यक्ति जो शासन द्वारा तीन वर्ष के लिए नामित किये जायेंगे। — चार सदस्य	(v) संगीत, नृत्य, नाटक, ललित कला के प्रत्येक क्षेत्र से एक-एक विशिष्टि व्यक्ति जो शासन द्वारा तीन वर्ष के लिए नामित किये जायेंगे। — चार सदस्य
	3- यह समिति का अधिकार होगा कि वह प्रार्थना पत्रों की प्रविष्टियों के आधार पर या प्रार्थना पत्रों की प्रविष्टियों तथा साक्षात्कार के आधार पर पेंशन स्वीकृत करें।	3- यह समिति का अधिकार होगा कि वह प्रार्थना पत्रों की प्रविष्टियों के आधार पर या प्रार्थना पत्रों की प्रविष्टियों तथा साक्षात्कार के आधार पर पेंशन स्वीकृत करें।
	4- निदेशक,संस्कृति निदेशालय प्राप्त प्रार्थना पत्रों को आवश्यक जॉच करके जो प्रार्थना पत्र पूर्ण हो और जिन्हें नियमावली पेंशन स्वीकृत की जा सकती है। समिति के सम्मुख अपनी संस्तुति के साथ विचारार्थ प्रस्तुत करेंगें।	4- निदेशक, संस्कृति निदेशालय प्राप्त प्रार्थना पत्रों को आवश्यक जॉच करके जो प्रार्थना पत्र पूर्ण हो और जिन्हें नियमावली पेंशन स्वीकृत की जा सकती है। समिति के सम्मुख अपनी संस्तुति के साथ विचारार्थ प्रस्तुत करेंगें।
	5- समिति की बैठक वित्तीय वर्ष में कम से कम एक बार अवश्य बुलाई जायेगी और आवश्यकता पड़ने पर समिति के अध्यक्ष(निदेशक, संस्कृति विभाग की स्वीकृत से कभी भी बुलाई जा सकती है।	5- समिति की बैठक वित्तीय वर्ष में कम से कम एक बार अवश्य बुलाई जायेगी और आवश्यकता पड़ने पर समिति के अध्यक्ष(निदेशक, संस्कृति विभाग की स्वीकृत से कभी भी बुलाई जा सकती है।
	6- उपनियम (1) अधीन गठित समिति की स्वीकृति पर शासन द्वारा पेंशन भुगतान किये जाने के आदेश जारी किये जायेंगे।	6- उपनियम (1) अधीन गठित समिति की स्वीकृति पर निदेशक, संस्कृति द्वारा पेंशन भुगतान किये जाने के आदेश जारी किये जायेंगे।
	7-पेंशन स्वीकृति के आदेश की एक प्रतिलिपि महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद को पृष्ठांकित की जायेगी।	7- पेंशन स्वीकृति के आदेश की एक प्रतिलिपि महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद को पृष्ठांकित की जायेगी।
8-पेंशन का सवितरण और लेखे	1-निदेशक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 राज्य सरकार द्वारा पेंशन स्वीकृत के आदेश निर्गत होने से दो माह के अन्दर पेंशन की धनराशि की नियमित भुगतान	1-निदेशक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 राज्य सरकार द्वारा पेंशन स्वीकृत के आदेश निर्गत होने से दो माह के अन्दर पेंशन की धनराशि का नियमित भुगतान किया जाना सुनिश्चित करेंगे।